भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2123
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

2123. श्री ए. नारायण स्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों में अ.जा./अ.ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है जैसा कि अधिनियम में अधिदेशित है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना है ; और

(ग) संबंधित राज्यों द्वारा उक्त न्यायालय स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का संख्यांक 1) द्वारा यथा संशोधित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 यह विनिर्दिष्ट करती है कि शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी, परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों ने जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रुप में अभिहित किया है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के पश्चात्, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण)

अधिनियम को 31.12.2019 से जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में लागू करवाया गया है। अरुणाचल प्रदेश तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र ने इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालयों को अभिहित नहीं किया है।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-2) के अधीन राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता के भीतर अपराधों के निवारण, पता लगाने, रजिस्ट्रीकरण, अन्वेषण और अभियोजन , जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध भी हैं, तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए भी प्राथमिक रुप से उत्तरदायी हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देती है।

****